

The Hindu

3/11/21

Page - 3

THE HINDU DELHI
WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021



दिल्ली का
वोटर उत्सव
SSR 2022

1 नवंबर से 30 नवंबर 2021

01 जनवरी 2022 तक यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है और मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज नहीं है तो **तुरंत पंजीकरण कराएं**

DOWNLOAD





चलो
बनें हम
वोटर



मुख्य निर्वाचन
ऑल सेंट स्टीफन कॉलेज बि
www.ceb

अगर आपके पास वोटर आई डी है, तो अपना नाम सूची में अवश्य चेक कर लें

फॉलो करें  

वोटर कार्ड में बदलाव के लिए नहीं लगेगा शुल्क

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। वोटर कार्ड में किसी तरह के बदलाव या गुम होने पर अब नया कार्ड बनवाने के लिए मतदाताओं को खर्च नहीं करना होगा। पहले नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र सहित किसी तरह के भी बदलाव के लिए 25 रुपये का शुल्क लिया जाता था। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये सहूलियत देने से मतदाताओं की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है।



मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) दिल्ली की तरफ से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। एक महीने के लिए मतदाता उत्सव के दौरान मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल हो सकें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) डॉ. रणवीर सिंह ने कहा कि पहली बार कार्ड बनवाना पहले भी निशुल्क था। मगर किसी

1,02,520 मतदाता घटे

दिल्ली में 1,02,520 मतदाता कम हो गए हैं। फिलहाल दिल्ली में कुल 1 करोड़, 47 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें 80 लाख, 88 हजार, 31 पुरुष जबकि 67,6570 महिलाएं हैं। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 948 है जबकि 59 हजार, 432 मतदाताओं की मृत्यु के बाद उनके नाम काट दिए गए हैं। सीईओ ने डॉ. रणवीर सिंह ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है ताकि इसे त्रुटि मुक्त बनाया जा सके। इस बार 2.51 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए जबकि 2.16 लाख नए मतदाता शामिल हुए। वोटर हेल्पलाइन एप की शुरुआत की गई है ताकि मतदाताओं सूची में बदलाव की प्रक्रिया आसान हो।

तरह के संशोधन के लिए आवेदक को 25 रुपये जमा करना होता था। अब वोटर कार्ड में किसी तरह के संशोधन या कार्ड के गुम होने पर जरूरी दस्तावेज जमा करवाने पर कार्ड निशुल्क भेजा जाएगा।

सीईओ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद मतदाता पहचान पत्र बनवाना और भी सुलभ हो गया है। नया पहचान पत्र बनवाने या नाम, पता या विधानसभा क्षेत्र में बदलाव के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं।